इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 468] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 नवम्बर 2021—अग्रहायण 5, शक 1943

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2021

क्र. एफ–2–17–2021–लोसेप्र–पी.एस.जी.–05.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवा क्रमांक 5.15 की पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ–2–13–2012–इकसठ–लो.से.प्र.–पी.एस.जी.–05, दिनांक 2 जनवरी 2018 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय–सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय–सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय–सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.9	व्यापार अनुज्ञप्ति आवेदन.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद् क्षेत्र के लिए आयुक्त, नगर पालिका निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका निगम क्षेत्र के लिए.	07 कार्य दिवस	परियोजना अधिकारी, जिला शहर विकास अभिकरण आयुक्त, नगर पालिका निगम.	07 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.15	विकास अनुज्ञा के समय सीमा का विस्तार.	जिले में पदस्थ संयुक्त संचालक/ उपसंचालक/ सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.	07 कार्य दिवस	अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.	15 कार्य दिवस	आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.

2. राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्न सेवाएं.—

सेवा क्रमांक 5.9 - व्यापार अनुज्ञप्ति आवेदन.
सेवा क्रमांक 5.15 - विकास अनुज्ञा के समय सीमा का विस्तार.

को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मान्य अनुमोदन हेतु अधिसूचित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.